

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बिहार राज्य एवं अन्य

बनाम

जगदीश प्रसाद सिन्हा एवं अन्य

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.7583

में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.420

11 अप्रैल 2023

(माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 7583/2021 में पारित निर्णय और आदेश सही हैं या नहीं?

हेडनोट्स

बिहार कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेंसी अधिनियम, 1978—धारा 39(2)(सी)—वेतनमान लाभ—गंडक क्षेत्र विकास एजेंसी (जीएडीए) के विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक पदों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 5 वें और 6 वें वेतन आयोग के लाभों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की मांग की—लाभ प्रदान किए जा चुके हैं—रिट याचिकाकर्ताओं ने एजेंसी के आंतरिक प्रस्तावों और एजेंसी के कर्मचारियों पर सरकारी सेवा नियम लागू करने की दीर्घकालिक प्रथा का हवाला देते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा किया।

निर्णय: वेतन और वेतनमान अधिनियम, 1978 की धारा 39(2)(सी) के अंतर्गत "सेवा शर्तों" का हिस्सा हैं—शर्तों को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एजेंसी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए—यदि कोई अधिकार

विद्यमान है, तो कोई व्यक्ति अधिकार के प्रवर्तन हेतु कोई भी निर्देश जारी करने के लिए रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है—याचिकाकर्ताओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से लाभों का भुगतान करने के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश कायम नहीं रह सकते—विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द—अपील स्वीकार की जाती है। (पैराग्राफ 7 से 12)

न्याय दृष्टान्त

निशा प्रिया भाटिया बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2020) 13 एससीसी 56; ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम सुंदर लाल जैन एवं अन्य, (2008) 2 एससीसी 280—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

बिहार कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेंसी अधिनियम, 1978।

मुख्य शब्दों की सूची

वेतनमान लाभ; कर्मचारी; प्रशासनिक पद; वेतन।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 7583/2021 में पारित निर्णय एवं आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री विनय कीर्ति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री बिनय कुमार पांडे, जी. ए. 2 के एसी

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री उमा शंकर प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.7583
में
2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.420

=====

1. सचिव, जल संसाधन विभाग पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, जल संसाधन विभाग, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
4. निदेशक, जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (डब्ल्यू. ए. एल. एम. आई), फुलवारीशरीफ, पटना।
5. उप सचिव, कमांड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन, बिहार, पटना।
6. अधीक्षण अभियंता, कमांड क्षेत्र विकास मंडल, संयुक्त भवन, मुजफ्फरपुर।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. जगदीश प्रसाद सिन्हा, पिता-स्वर्गीय इंद्र लाल सिंह, निवासी गांव-चिनिया बेला, थाना-पुनपुन, जिला-पटना। गंडक क्षेत्र विकास एजेंसी, छपरा के अन्वेषण एवं योजना प्रभाग में सर्वेक्षक-सह-प्रभारी कनिष्ठ अभियंता के पद से सेवानिवृत्त।
2. चंदेश्वर प्रसाद यादव, पिता-स्वर्गीय गंगा प्रसाद यादव, निवासी गांव-हब्बीपुर, डाक-जटडुमारी, थाना-पुनपुन, जिला- पटना। सर्वेक्षक, अन्वेषण एवं योजना प्रभाग, गंडक क्षेत्र विकास एजेंसी मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के पद से सेवानिवृत्त।
3. नागेश्वर यादव, पिता-स्वर्गीय देवकी प्रसाद यादव, निवासी गांव-हब्बीपुर, डाक-जटडुमारी, थाना-पुनपुन, जिला- पटना। सर्वेक्षक, जांच एवं योजना प्रभाग, गंडक क्षेत्र विकास एजेंसी, छपरा प्रभाग, सारण के पद से सेवानिवृत्त।
4. सुरेंद्र प्रसाद सिंह, पिता- स्वर्गीय राम नगीना सिंह, निवासी गांव और डाक-दरियापुर, थाना-परसा बाजार, जिला-पटना। सर्वेक्षक, जांच एवं योजना प्रभाग, गंडक क्षेत्र विकास एजेंसी, सीवान के पद से सेवानिवृत्त।
5. राधा पांडे, पिता- स्वर्गीय बालेश्वर पांडे, निवासी गांव और डाक-दरियापुर, थाना-परसा बाजार, जिला- पटना। गंडक क्षेत्र विकास एजेंसी, मुजफ्फरपुर के अन्वेषण एवं योजना प्रभाग कार्यालय में कोषाध्यक्ष गार्ड के पद से सेवानिवृत्त।
6. ओम प्रकाश सिंह, पिता- स्वर्गीय सिद्धेश्वर सिंह, निवासी मोहल्ला-नूरमोहियुद्दीनपुर (शिवनगर रोड सं. 2), डाक-पुनपुन, थाना-परसा बाजार, जिला-पटना। गंडक क्षेत्र विकास एजेंसी, बेतिया, पश्चिम चंपारण के अन्वेषण एवं योजना प्रभाग कार्यालय में

कनिष्ठ अभियंता के पद से सेवानिवृत्त।

7. मोसमात चिंता देवी, पति-स्वर्गीय प्रेम साओ उर्फ प्रेम कुमार गुप्ता, निवासी मोहल्ला-नूरमोहियुद्दीनपुर (शिवनगर रोड सं. 2), डाक-पुनपुन, थाना-परसा बाजार, जिला-पटना।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री विनय कीर्ति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री बिनय कुमार पांडे, जी. ए. 2 के एसी
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री उमा शंकर प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

तारीख: 11-04-2023

रिट याचिकाकर्ताएं गंडक क्षेत्र विकास एजेंसी (संक्षेप में 'जी. ए. डी. ए.') के कर्मचारी थे। उन्हें 01.01.2009 से प्रभावी 5 वें वेतन संशोधन और 01.04.2012 से प्रभावी 6 वें वेतन संशोधन के तहत वेतनमान लाभ दिए गए थे। क्रमशः जनवरी 2002 और अप्रैल 2007 से इसके कथित लाभों और परिणामों का दावा करते हुए, उन्होंने रिट याचिका दायर की। इसकी अनुमति दी गई है, इसलिए बिहार राज्य ने रिट न्यायालय के दिनांक 13.04.2022 के आदेश के खिलाफ तत्काल लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी है।

2. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता दलील देते हैं कि अपील के तहत आदेश इस तथ्य के लिए असमर्थनीय है कि याचिकाकर्ता को 01.01.2002 से 31.12.2008 और 01.04.2007 से 31.03.2012 तक 5 वें और 6 वें वेतन लाभ देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, भले ही समिति द्वारा 5 वें और 6 वें वेतन के लाभों को उस तारीख से बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे इसे दिया गया है।

3. न्यायालय का ध्यान बिहार कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास अभिकरण अधिनियम, 1978 (जिसे आगे '1978 अधिनियम' कहा जाएगा) की ओर आकृष्ट किया गया है। यही समिति की विनियमन बनाने की शक्ति को निर्दिष्ट करता है। धारा 39 (2) (सी) एजेंसी के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियों, पदोन्नति और सेवाओं की शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए समिति की शक्ति को निर्दिष्ट करती है, लेकिन "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ"। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई तारीखों से 5 वें और 6 वें वेतनमान का लाभ देने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी से पहले कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए, माननीय एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष कि राज्य सरकार द्वारा विकसित किसी नीति या किसी वैधानिक निर्णय के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई तारीखों से 5 वां और 6 वां वेतनमान देय था, बिना किसी आधार के हैं।

4. निजी उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, हालांकि, दलील देते हैं कि राज्य सरकार के अनुशासनात्मक नियंत्रण और अपील नियमों को याचिकाकर्ताओं पर लागू किया गया है। जी. ए. डी. ए. की स्थापना के बाद से ही उनके साथ सरकारी कर्मचारियों के बराबर व्यवहार किया जाता रहा है। यह भी दलील दिया जाता है कि जी. ए. डी. ए. के समिति ने यह भी प्रस्ताव लिया है कि जब तक समिति द्वारा अनुमोदित सेवा शर्तें लागू नहीं की जाती हैं, तब तक जी. ए. डी. ए. (याचिकाकर्ताओं) के कर्मचारी सरकारी नियमों और सरकारी कर्मचारियों पर लागू विस्तारित सेवा शर्तों के लाभों द्वारा शासित होंगे। इसलिए, वह दलील देते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को लागू होने वाली तारीखों से 5 वीं और 6 वीं वेतन लाभों को बढ़ाने का माननीय एकल न्यायाधीश का आदेश रिट याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादियों के लिए न्यायसंगत और उचित है।

5. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने पर, यह न्यायालय पाएगा कि जी. ए. डी. ए. और उसके कर्मचारियों पर 1978 के अधिनियम की प्रयोज्यता विवाद में नहीं है। 1978 के अधिनियम की धारा 39 इस प्रकार है:

"39. विनियम बनाने की शक्ति

(1) समिति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, इस अध्यादेश के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत विनियम बना सकता है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:-

(क) समिति और कार्यकारी समिति की बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया;

(ख) एजेंसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्य;

(ग) एजेंसी के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियाँ, पदोन्नति और सेवा की शर्तें;

(घ) वह तरीका जिसमें शुल्क, दरें, बकाया आदि निर्धारित किए जाएँगे और वसूल किए जाएँगे।

(ङ) किसी भी विनियम के उल्लंघन के लिए दंड;

(च) योजना कार्यक्रमों को तैयार करने और प्रकाशित करने का तरीका, आदि।

(3) ऐसे विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाएँगे और ऐसे विनियम ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(4) धारा 38 की उप-धारा (3) के प्रावधान समिति द्वारा बनाए गए ऐसे सभी विनियमों पर लागू होंगे।"

6. इसलिए, अधिनियम अपने इरादे में स्पष्ट है कि जी. ए. डी. ए. के

अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों को समिति द्वारा विनियम बनाकर निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ"।

7. जैसा कि (2020)13 एससीसी 56 में प्रतिवेदित निशा प्रिया भाटिया बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है, अब यह तय हो चुका है कि वेतन और वेतनमान 1978 अधिनियम की धारा 39(2)(सी) में उल्लिखित "सेवा की शर्तों" का हिस्सा हैं। निशा प्रिया भाटिया (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के कंडिका संख्या 41 में सर्वोच्च न्यायालय ने "सेवा की शर्तों" की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में की है:-

"41. "सेवा की शर्तें" वाक्यांश गणितीय परिशुद्धता का वाक्यांश नहीं है और इसे इसके व्यापक महत्व के साथ समझा जाना चाहिए। "सेवा की शर्तें" वाक्यांश के स्वाभाविक, तार्किक और व्याकरणिक अर्थ में वेतन, भुगतान की समय अवधि, वेतनमान, महंगाई भत्ता, निलंबन और यहां तक कि सेवा की समाप्ति से संबंधित शर्तों की विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी।"

8. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारी केवल राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ समिति द्वारा निर्धारित वेतनमान का दावा कर सकते हैं। किसी विशेष तिथि से संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए ऐसे किसी भी निर्देश के अभाव में, जी. ए. डी. ए. के अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

9. यह अब तक कानून का एक तय प्रस्ताव भी है कि केवल अगर कोई अधिकार मौजूद है, तो कोई व्यक्ति अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई भी निर्देश जारी करने के लिए रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इस संबंध में न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम सुन्दर लाल जैन एवं अन्य के

मामले (2008) 2 एससीसी 280 में दिए गए निर्णय के कंडिका 12 का संदर्भ लेगा, जो नीचे उद्धृत है:-

"12. यही सिद्धांत हमारे देश में अपनाए गए हैं। बिहार ईस्टर्न गैंगेटिक शरमेन को-ऑप. सोसाइटी लिमिटेड बनाम सिपाही सिंह [(1977) 4 एससीसी 145: एआईआर 1977 एससी 2149] में लेखराज सथरामदास लालवानी बनाम एन.एम. शाह [एआईआर 1966 एससी 334], राय शिवेंद्र बहादुर (डॉ.) बनाम नालंदा कॉलेज [एआईआर 1962 एससी 1210] और उमाकांत सरन (डॉ.) बनाम बिहार राज्य [(1973) 1 एससीसी 485: एआईआर 1973 एससी 964] में पहले के फैसलों का हवाला देने के बाद, इस न्यायालय ने रिपोर्ट (एससीसी): (सिपाही सिंह मामला [(1977) 4 एससीसी 145: एआईआर 1977 एससी 2149], एससीसी पृ. 152-53) के कंडिका 15 में निम्नानुसार अवलोकन किया।

"15. ... इस प्रस्ताव के पक्ष में प्रचुर अधिकार है कि परमादेश रिट केवल उस मामले में दी जा सकती है जहां संबंधित अधिकारी पर एक वैधानिक कर्तव्य लगाया गया है और उस अधिकारी की ओर से वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता है। एक रिट का मुख्य कार्य कानून द्वारा निर्धारित सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन को मजबूर करना और अधीनस्थ न्यायाधिकरणों और सार्वजनिक कार्यों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर रखना है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि परमादेश अधिकारियों को कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी कर सकता है, यह दिखाया जाना चाहिए कि एक कानून है जो एक कानूनी कर्तव्य को लागू करता है और पीड़ित पक्ष को अपने प्रदर्शन को लागू करने के लिए कानून के तहत कानूनी अधिकार है।... तत्काल मामले में, उत्तरदाता 1 द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि कानून का बल रखने वाला कोई कानून या नियम है जो उत्तरदाता 2 से 4 पर कर्तव्य डालता है जिसे वे पूरा करने में विफल रहे। जिसे लागू करने की मांग की जाती है वह एक अनुबंध से प्रवाहित एक दायित्व है जो, जैसा कि पहले से ही संकेत दिया गया है, बाध्यकारी और लागू करने योग्य भी नहीं है। तदनुसार, हमारी स्पष्ट रूप से राय है कि प्रतिवादी 1 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश रिट के अनुदान के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं था और उच्च न्यायालय इसे जारी करने के लिए सक्षम नहीं था।"

इसलिए, परमादेश रिट जारी करने के लिए, रिट मांगने वाले पक्ष के पास प्राधिकारियों पर लगाए गए किसी वैधानिक कर्तव्य के पालन हेतु बाध्य करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। प्रतिवादी यह साबित नहीं कर पाए हैं कि ऐसा कोई कानून या नियम है जो अपीलकर्ता बैंक पर 31-3-2000 से अपने खाते को एनपीए

घोषित करने और अपने मामले में आरबीआई के दिशानिर्देशों को लागू करने का दायित्व डालता हो।”

10. चूंकि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ जी. ए. डी. ए. समिति के किसी निर्णय के आधार पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए क्रमशः 01.01.2002 से 31.12.2008 और 01.04.2007 से 31.03.2012 की अवधि के लिए 5 वें और 6 वें वेतनमान प्रदान करने के लिए ऐसा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए माननीय एकल न्यायाधीश के निर्देश कायम नहीं रखे जा सकते।

11. इसलिए, हम माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 13.04.2022 के आदेश को दरकिनार करते हैं।

12. एल. पी. ए. की अनुमति दी जाती है और रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

सुमित/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।